

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, गया के पत्रांक-3466, दिनांक-04.07.2025 द्वारा श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया के विरुद्ध आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें सोशल मीडिया पर परिमार्जन हेतु रिश्तत लेने संबंधी वायरल वीडियो के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के द्वारा जाँच के क्रम में आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों के बयान के आधार पर दोषी पाये जाने, जाँच के क्रम में उपस्थित रहने की सूचना दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना किए जाने, सरकारी कार्यों एवं पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किए जाने एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य किए जाने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-809(15) दिनांक-23.05.2025 द्वारा दिनांक-23.09.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से श्री राकेश कुमार को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा निर्धारित किया गया।

2. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-515(15), दिनांक-10.04.2026 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-13888 दिनांक-21.07.2023 के कंडिका-5 (iii) के आलोक में बिहार राजस्व सेवा के निलंबित पदाधिकारियों, जिनकी निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक है, के विरुद्ध प्रतिवेदित/गठित आरोप की प्रकृति को देखते हुए निलंबन मुक्त किये जाने के संबंध में दिनांक-27.07.2026 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी।

4. समीक्षात्मक बैठक में श्री कुमार, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, बाराचट्टी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण निलंबन अवधि एवं आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निलंबन से मुक्त किये जाने तथा संवेदनशील पदों पर पदस्थापित नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा को निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात् श्री कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

ह0/-

ई-मेल/
स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, गया/आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, छपरा/कोषांगार पदाधिकारी, गया एवं सारण/श्री राकेश कुमार, निलंबित राजस्व अधिकारी मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री कुमार को निदेशित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023-1391

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-28/08/2024

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति) आईटी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।